

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
23/11/17		वकील उममपक्ष उक्त अवकाश पर पत्र पेश करने को व्याजहित में रूक गये अतः अतिरिक्त अवसर दिना 23/11/17 को पेश हो तब तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)
30/11/17		वकील उममपक्ष उक्त P.O. शा. दौरे में पधारें हैं अतः आदेश को पालन में दिनांक 22-12-17 को पेश हो प्रस्तुतकार उप-खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)
22/12/17		वकील उक्त P.O. शा. दौरे में पधारें हैं अतः आदेश को पालन में दिनांक 01-1-18 को पेश हो। प्रस्तुतकार उप-खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)
01-2-18		वकील उममपक्ष विराटनगर (जयपुर), उक्त पेश करने के लिए उक्त वकील आपत्तियों सं. 1, 2, ने अवकाश प्रार्थना पेश नहीं की सीधी बरस प्रार्थना पेश की। बरस प्रार्थना पेश हुनी गयी। बाद बरस भवन प्रार्थना पेश आपत्तियों के पूर्व उक्त न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 12/11/16 को प्रमाण में अज्ञात



अंश (अंश) का
निर्णय

सेजे
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)।

फर्द अहकाम

बनाम

अंश (अंश) का

प्रार्थना पत्र

35/20/6

अध्यापक का
आपत्ति
मवसा दिना
1/17 को पेश
आदेश प्रस्ताव
है

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)।

P.O-11
आदेश की
22-12-17

अधिकारी
अधिकारी
(जयपुर)

0 सहा-दौरे
आदेश की पालना
को पेश हो।

प्रस्तुतकार
उप-खण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

उक्त वकील
वाक प्रमाण पत्र
प्रार्थना पत्र की
नी गती। आदेश
आपत्तिके मुक्ति
आदेश दिनेक
के अन्तर्गत

आज्ञा विस्तृत रूप से

अध्यापक विवेधात्मक आदेश प्रार्थना
किया गया है। आतः बाद प्रार्थना
प्रमाण तार्किकता प्रमाण के आधार पर
किया जाय आदेश दिये जाते हैं कि
दोनों पक्ष प्रमाण के अभाव में आदेश
सं. 2823/0-31/16 के अन्तर्गत
नवीन विधान की शर्तों व शर्तों
की शर्तों की अधीन बनाये रखें।
प्रमाण तार्किकता प्रमाण के आधार पर
किया गया है। प्रार्थना के अभाव में
आदेश नवीन विधान के अन्तर्गत
से कराये।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)।